मध्य रेल **सोलापुर मंडल**

मासिक परिचालन पत्रिका

माह- जून 2019 अंक 20

सक्षम अभियान

हमारा उद्देश्य

संरक्षा प्रथम, अंतिम एवं हर समय

अपर मंडल रेल प्रबंधक सोलापुर द्वारा दौंड स्टेशन की पिट लाइन का निरीक्षण दिनांक 20.06.2019

सतर्क आदमी संरक्षा का सर्वोत्तम साधन है

कर्मचारियों द्वारा किये गए ख़राब कार्य

1. दिनांक 08.06.2019 को भिगवन स्टेशन के पीक्यूआरएस लाइन संख्या 2 में बीआरएन लोड का प्लेसमेंट करते समय एक बीआरएन डेड एंड को तोड़ते हुए पटरी से उतर गया. इस केस में शंटिंग के नियमों की अनदेखी की गयी. शंटिंग सुपरवाइजर एवं शंटिंग कर्मचारी को शंटिंग के नियमों की अवहेलना करने का जिम्मेदार पाया गया.
2. दिनांक 19.06.2019 को दौंड यार्ड में शंटिंग के दौरान 2 बीसीसीडब्लू वैगन पटरी से उतर गए. इस केस में शंटिंग के दौरान कांटो के बदलने/ऑपरेट करने सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया गया. नॉन इंटरलॉक यार्ड को इंटरलॉक यार्ड में परिवर्तित करने के लिए सुझाव दिया गया.

सहायक नियम 8.05-1: गाडियों के आवागमन/प्रस्थान के दौरान शंटिंग:-

जब किसी आने वाली/जाने वाले गाड़ी के लिए किसी ऐसी लाइन पर/से आने/जाने के लिए सिग्नल ऑफ किया गया है जो आइसोलेट नहीं है, तब उन कांटो की ओर कोई भी शंटिंग नहीं की जायेगी जिस पर से होकर आने वाली/जाने वाली गाड़ी को पास होना है, केवल उन स्टेशनों को छोड़कर जहाँ लगातार शंटिंग कार्य किया जाता है तथा जहाँ ऐसे काँटों को रोक सिग्नल या शंट सिग्नल द्वारा या स्टॉप बोर्ड द्वारा सुरक्षित किया गया हो, ऐसी शंटिंग करते समय निम्नलिखित सावधानियों का अनुपालन करना चाहिए:-

1. शंटिंग प्राधिकृत सक्षम रेल सेवक के पर्यवेक्षण में की जाये.
2. रेक/लोड पूरी तरह वेक्यूम/एयर प्रेशर/ब्रेक पर हो.
3. शंटिंग के दौरान अधिकतम गति 15 किमी/घंटा से अधिक न हो.

सामन्य नियम: 8.06: दोहरी लाइन वाले ब्लॉक सेक्शन में अवरोध:-

1. यदि लाइन किल्यर दिया जा चुका है तो पिछले ब्लॉक सेक्शन में किसी अवरोध की अनुमति नहीं दी जायेगी.
2. पिछले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग या अन्य किसी कारण से अवरोध की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह ब्लॉक सेक्शन क्लियर नहीं है और ब्लॉक बैक नहीं नहीं किया गया है.
3. अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग या अन्य किसी कारण से अवरोध की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह ब्लॉक सेक्शन क्लियर नहीं है और ब्लॉक फॉरवर्ड नहीं कर दिया गया है.

   परन्तु यदि अगला ब्लॉक सेक्शन, स्टेशन से दूर जाती हुई गाड़ी से घिरा हुआ है तो उस गाड़ी के पीछे शंटिंग या अवरोध की अनुमति गाड़ी की गति, भर और ब्रेक शक्ति तथा

सेक्शन के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुदेशों के अधीन दी जा सकती है और जैसे गाड़ी के अगले ब्लॉक स्टेशन पर पहुँचने की सूचना मिलती है वैसे ही लाइन को यदि वह तब तक अवरुद्ध है, ब्लॉक फॉरवर्ड कर दिया जायेगा.

टिपण्णी: नियम 8.14 भी देखें.

सहायक नियम 8.06-1:

1. जब कभी पिछले या अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग की अनुमति दी गयी है तो स्टेशन मास्टर जैसे भी स्थिति हो, पिछली/अगली लाइन को ब्लॉक करने के बाद निर्धारित फॉर्म (परि 806) पर एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा और लोको पायलट को शंटिंग करने हेतु उस सेक्शन में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करेगा. ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग पूरी हो जाने के बाद लोको पायलट इस प्राधिकार पत्र को स्टेशन मास्टर को वापिस कर देगा जो इसे मूल प्रति साथ चिपका देगा.
2. जब स्टेशन से दूर जा रही गाड़ी से घिरे हुए ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग की अनुमति दी जाती है तो ऐसी शंटिंग करने के लिए भी फॉर्म (परि 806) पर प्राधिकार पत्र दिया जायेगा. जब शंट सिग्नल जो अंतिम रोक सिग्नल के नीचे लगाया गया है, को शंटिंग के लिए ऑफ किया गया हो तो इस प्राधिकार पत्र को जारी करने की आवश्यकता नहीं है.

सहायक नियम 8.06-2: उन स्टेशनों पर जहाँ डायडो लॉक एंड ब्लॉक उपकरण लगाये गए हैं, वहां स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरणों में से "ऑक्यूपेशन की" निकाल कर लोको पायलट को देगा.यह चाबी ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए एक प्राधिकार पत्र के रूप में मानी जायेगी. स्टेशन से दूर जाने वाली गाड़ी के पीछे जब ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग की जा रही हो तो लोको पायलट को फॉर्म (परि 806) पर प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा. ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग संचालन पूर्ण होने के पहले यदि सेक्शन किल्यर हो जाता है तो स्टेशन मास्टर आगे की लाइन को ब्लॉक करने की बाद :ऑक्यूपेशन की" को निकाल लेगा और उसे अपने पास तब तक रखेगा जब तक ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग संचालन पूर्ण नहीं हो जाता.

सामान्य नियम: 8.09: इकहरी लाइन "ख" श्रेणी स्टेशन पर आती हुई गाड़ी के मार्ग में अवरोध:

जिस गाड़ी के लिए लाइन किल्यर दिया जा चुका है उसके मार्ग में दो संकेती सिग्नल क्षेत्र में निकट (होम) सिग्नल के बाहर या बहु संकेती अथवा नीचे झुकने वाले सिग्नल क्षेत्र में बाह्यतम सम्मुख कांटो के बाहर लाइन तभी अवरुद्ध की जायेगी जब कि शंटिंग लिमिट या अग्रिम प्रस्थान सिग्नल लगा है और विशेष अनुदेशों के अधीन गाड़ियों के गति, भार, ब्रेक शक्ति, उतार चढ़ाव,

प्रथम रोक सिग्नल की स्थिति और उस दूरी का, जहाँ आती हुई गाड़ी का लोको पायलट सिग्नल देख सकता, ध्यान रखा जायेगा.

सामान्य नियम: 8.10 इकहरी लाइन "ख" श्रेणी स्टेशन सेक्शन में अवरोध:

1. यदि आवश्यक सिग्नल ऑन रखे जाते हैं तो स्टेशन सेक्शन में शंटिंग लिमिट बोर्ड, या अग्रिम प्रस्थान सिग्नल लगा होने पर वहां तक शंटिंग के लिए नियम 8.09 के उपबंधों का अनुपालन किया जायेगा.
2. जब किसी ऐसी लाइन पर, जो पृथक नहीं की गयी हो, आने वाली गाड़ी के लीये सिग्नल ऑफ किये जा चुके हैं तो शंटिंग कार्य उन कांटो की तरफ नहीं किया जाएगा जिन पर से आने वाली गाड़ी को पार करना हो.

सहायक नियम 8.10-1: गाडियों के आवागमन/प्रस्थान के दौरान शंटिंग:-

जब किसी आने वाली/जाने वाले गाड़ी के लिए किसी ऐसी लाइन पर/से आने/जाने के लिए सिग्नल ऑफ किया गया है जो आइसोलेट नहीं है, तब उन कांटो की ओर कोई भी शंटिंग नहीं की जायेगी जिस पर से होकर आने वाली/जाने वाली गाड़ी को पास होना है, केवल उन स्टेशनों को छोड़कर जहाँ लगातार शंटिंग कार्य किया जाता है तथा जहाँ ऐसे काँटों को रोक सिग्नल या शंट सिग्नल द्वारा या स्टॉप बोर्ड द्वारा सुरक्षित किया गया हो, ऐसी शंटिंग करते समय निम्नलिखित सावधानियों का अनुपालन करना चाहिए:-

1. शंटिंग प्राधिकृत सक्षम रेल सेवक के पर्यवेक्षण में की जाये.
2. रेक/लोड पूरी तरह वेक्यूम/एयर प्रेशर/ब्रेक पर हो.
3. शंटिंग के दौरान अधिकतम गति 15 किमी/घंटा से अधिक न हो.

सामान्य नियम: 8.13: इकहरी लाइन "ख" श्रेणी स्टेशन पर प्रथम रोक सिग्नल के बाहर अवरोध:-

प्रथम रोक(स्टॉप) सिग्नल के बाहर की लाइन तब तक अवरुद्ध नहीं की जायेगी जब तक कि लाइन को "ब्लॉक बैक" नहीं कर दिया जाता.

*****

सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी

संकलन : आर.बी.सिंह यातायात निरीक्षक दौंड.

सहयोग : पी आर नायर यातायात निरीक्षक (संरक्षा) सोलापुर.

संरक्षा प्रथम, अंतिम एवं हर समय